AISHE : C - 42771 Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116
(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)
Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या– 1

आज दिनांक–18.02.2020, दिन–मंगलवार को पूर्वाहन 10:30 बजे हॉल नं0–1 में प्राचार्य प्रो0 अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला (Workshop) का आयोजन किया गया, जिसका विषय था– "Intellectual Property Right: A Law to Protect the Intellectuality of Individual". इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि जी0 एल0 ए0 कॉलेज, मेदिनीनगर के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो0 (डॉ0) एस0 सी0 मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि तदर्थ शासी निकाय (Adhoc G.B.) के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार सिंह तथा सम्मानित अतिथि के रूप में S.P.D. College, Garhwa के प्रो0 विवेकानन्द उपाध्याय उपस्थित हुए।

इस कार्यशाला में गणमान्य व्यक्ति सहित निम्नांकित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित हुए–

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

प्राचार्य अशोक कुमार सिंह, प्रो0 (डॉ0) एस0 सी0 मिश्रा, श्री अरूण कुमार सिंह, प्रो0 विवेकानन्द उपाध्याय एंव प्रो0 रविकान्त सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S) के स्वयंसेवकों– प्रशिक्षा रंजन राज, सरस्वती रंजन, अर्चना वर्मा, हेमा कुमारी एवं साधना कुमारी द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया।

विषय–प्रवेश महाविद्यालय के दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ0 राम सुभग सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन N.S.S के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो0 राजेश कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि प्रो0 एस0 सी0 मिश्रा ने बहुत ही बोधगम्य शैली में कॉपीराइट, पेटेंट, इनोवेशन इत्यादि पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि आपलोग जो किताब पढ़ते हैं, उसका जो लेखक होता है, उसके नाम से या उसके उत्तराधिकारी के नाम से कॉपीराइट होता है। यदि कोई भी लेखक के पूर्वानुमती के बिना उसके किसी अंश का उपयोग करता है, तो उस पर कानूनी कारवाई की जा सकती है। यदि कोई किसी नई चीज का आविष्कार करता है, तो उसके नाम से उस चीज का पेटेंट होगा। उसकी इच्छा के बिना उस चीज का कारखाने में उत्पादन नहीं किया जा सकता।

विशिष्ट अतिथि अरूण कुमार सिंह ने कहा कि बुद्धि एक संपदा है, जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार है। उसकी बुद्धि से यदि कोई नया विचार उत्पन्न होता है, किसी नई चीज का सृजन होता है, तो उस पर उसका कॉपीराइट/पेटेंट होगा। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकेगाा।

सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज, गढ़वा (पलामू) के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो0 विवेकानन्द उपाध्याय ने भी बौद्धिक संपदा अधिकार के कुछ पहलुओं पर अपने विचार रखे। इस विषय पर महाविद्यालय के निम्न प्राध्यापकों ने भी अपने विचार व्यक्त किये– डॉ0 आलोक रंजन कुमार, डॉ0 अजय कुमार सिंह, प्रो0 रेखा कुमारी सिंह एवं प्रो0 सतीश प्रसाद। व्याख्यान के बाद एक घंटा का

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्नोत्तर सत्र रखा गया, जिसमें विद्यार्थियों ने जिज्ञासाएँ एवं आशंकाएँ प्रकट की, जिसका यथासंभव संतोषजनक उत्तर वक्ताओं द्वारा दिया गया।

कार्यशाला के अंत में रंगोली, मेंहदी, चित्रकला एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त) को मेडल एवं प्रशस्ति देकर पुरस्कृत किया गया। अध्यक्षीय संबोधन प्राचार्य प्रो0 अशोक कुमार सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो0 सूर्य मणि सिंह ने किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला के समापन की घोषणा की गई।

Third eye 19.02.2020

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

मंच पर उपस्थित अतिथि।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–2

आज दिनांक–07.01.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे हॉल नं0–1 में प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका विषय है– "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत् कॉपीराइट की उपादेयता।" इस एक दिवसीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता थे श्री अंगद किशोर जो, एक शिक्षक, इतिहासकार, पुरातत्वविद और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्न शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित हुए–

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

प्राचार्य प्रो0 सूर्यमणि सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। विषय–प्रवेश डॉ0 राम सुभग सिंह (विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र–सह–समन्वयक, आई0 क्यू0 ए0 सी0 ने किया। इसके पश्चात् मुख्य–वक्ता श्री अंगद किशोर (शिक्षक, इतिहासकार, पुरातत्वविद एवं लेखक) ने कॉपीराइट पर विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा कि भारत में कॉपीराइट से संबंधित कानून 1957 में पारित किया गया और 21 जनवरी 1958 से लागू हुआ। कॉपीराइट में निम्नांकित विषय समाहित हैं– साहित्य, नाटक और संगीत संबंधी कार्य, कम्प्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो साहित्यिक कार्य की परिभाषा में आते हैं, कला संबंधी कृतियाँ, सिनेमा, जिसमें साउंड ट्रैक और वीडियो फिल्में भी शामिल हैं; रिकार्ड, कोई भी डिस्क, टेप या अन्य डिवाइस।

श्री अंगद किशोर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी की रचना, कृति एवं कला की नकल करता है या उसे अपने नाम से प्रचारित– प्रसारित करता है, तो वह दंड का भागी होगा। किसी साहित्यिक कृति के कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है, लेकिन प्रसारण के संबंध में जिस वर्ष प्रसारण किया गया, उसके अगले कैलेण्डर वर्ष की शुरूआत से 25 वर्ष तक। प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण, जिसमें सामान्यतः प्रोग्राम ही होता है, अलग कृति माना जाता है और यदि इसे रजिस्टर्ड कराना हो, तो अलग से आवेदन करना होगा; कम्प्यूटर प्रोग्राम के साथ नहीं। यह भी ध्यान योग्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता के लिए कोई प्रोग्राम बनाता है, तो उस नियोक्ता का ही कॉपीराइट होगा, जब तक कि कोई अन्य अनुबंध न हो।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

श्री अंगद जी ने कहा कि किसी विद्यमान कृति का कॉपीराइट धारक या किसी संभावित कृति का कॉपीराइट धारक पूर्णतः या अंशतः कॉपीराइट का हस्तांतरण भी कर सकता है, पूरे विश्व या किसी देश या क्षेत्र के लिए। कॉपीराइट सहित सभी अधिकार या इन अधिकारों का कोई भाग। सारांश यह है कि कॉपीराइट एक व्यक्ति की बुद्धि से उपजे किसी भी साहित्यिक या कलात्मक कृति को संरक्षण प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अथक परिश्रम से रचना करे और कोई जालसाजी से उसे अपने नाम कर ले या उसका लाभ वह फर्जी व्यक्ति उठाये, तो यह उस रचनाकार के साथ अन्याय होगा। कॉपीराइट कानून की यही उपादेयता है।

विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे, जिसका संतोषजनक उत्तर श्री अंगद जी ने दिया। अध्यक्षीय संबोधन प्राचार्य महोदय ने दिया। मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो0 रेखा कुमारी सिंह ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला के समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C - 42771 Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–3

आज दिनांक 20.04.2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे 'बौद्धिक संपदा अधिकार' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह ने की। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉ0 आलोक रंजन कुमार तथा विशिष्ट वक्ता डॉ0 राम सुभग सिंह (समन्वयक, आई0 क्यू0 ए0 सी0) रहे।

इस कार्यशाला में निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हुए–

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। मुख्य वक्ता डॉ0 आलोक कुमार ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत् निम्न प्रमुख विषय आते हैं– कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। आम आदमी भी इनका नाम जरूर सुना होता है। ये ऐसे विषय हैं, जिनसे विद्यार्थियों एवं नागरिकों को अवश्य ही अवगत होना चाहिए। इसलिए कि जाने– अनजाने इनसे संबंधित नियम–कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति मुसीबत में फँस जाता है।

प्रो0 आलोक ने बताया कि कॉपीराइट का कानून भारत में 1957 में पारित किया गया और 21 जनवरी 1958 से पूरे भारत में लागू हुआ। कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है। संयुक्त लेखक होने पर अंतिम लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक यह अधिकार रहेगा। कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक या नाट्यकृति का उस कृति के प्रथम प्रकाशन के 07 वर्ष बाद भाषांतर के लिए कॉपीराइट बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं। पर यदि शिक्षण या शोध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, तो 3 वर्ष बाद ही भाषांतर के लिए अनुरोध कर सकता है (विज्ञान व वाणिज्य संबंधी कृति)। कॉपीराइट के नियम का उल्लघन करने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा और/या 50 हजार रूपये से 3 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

डॉ0 आलोक ने कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 ई0 में 'पेटेंट और डिजाइन अधिनियम' पारित किया गया था। 1948 में उक्त अधिनियम की सार्थकता की जाँच के लिए एक जाँच समिति बनाई गई। अंततः 19 Sept. 1970 को पेटेंट कानून बना। Design Act 1911 को 2000 में निरस्त कर पुनः 11 मई 2001 से लागू किया गया। ट्रेडमार्क कानून नये सिरे से 15 Sept. 2003 से लागू है। इसका उद्देश्य है माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0 राम सुभग सिंह के वक्तव्य का सारांश है कि 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पूँजीवादी दुनिया का शोषण का एक हथियार है, जिसके जरिए पूँजीवादी वर्चस्व को कायम किया जाता है और मानव श्रम के शोषण के जरिए एक विषमतामूलक समाज बनाये रखा जाता है।

प्राचार्य सूर्य मणि सिंह ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। डॉ0 आनन्द कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh Colleg
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C-42771

Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–4

आज दिनांक–22.09.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे से 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह ने की। कार्यशाला का विषय है–"बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत् ट्रेडमार्क और डिजाइन विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला।" इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे–जे0 एस0 कॉलेज, मेदिनीनगर के वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष–सह–प्राचार्य प्रो0(डॉ0) राणा प्रताप सिंह।

इस कार्यशाला में निम्नलिखित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित हुए–

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C-42771

Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही(Proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय–प्रवेश आई0 क्यू0 ए0 सी0 कोऑर्डिनेटर डॉ0 राम सुभग सिंह ने किया । वाणिज्य विभागाध्यक्ष–सह–प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह ने भी ट्रेडमार्क और डिजाइन विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। मुख्य वक्ता जे0 एस0 कॉलेज, मेदिनीनगर के प्राचार्य प्रो0(डॉ0) राणा प्रताप सिंह ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने ट्रेडमार्क एवं डिजाइन से संबंधित कानून बनाया है। 1958 में Trade and Merchandise Marks Act पारित किया गया था। फिर 1999 में इसके स्थान पर Trade Marks Act पारित किया गया। 15 सितम्बर 2003 से यह Act पूरे भारत में लागू किया गया। इसके अंतर्गत् निम्नांकित विषय शामिल हैं–उपकरण, छाप, शीर्षक, नामपत्र, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, माल का आकार, पार्सल/पैकिंग, रंगों का समुच्चय आदि। Trade Mark Act के 3 मुख्य उद्देश्य हैं–

1.व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्री कराया जाना।

2.माल एवं सेवा के व्यापार चिन्हों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना।

3.माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना। इसका रजिस्ट्रीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्ट्री 10 वर्ष के लिए होती है। फिर Renewal कराना होता है। इस कानून से बचने के लिए कंपनियाँ मिलते–जुलते नाम रख देती हैं, लेकिन आम लोग भ्रमवश इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे–adidas का जूता है। तो नकलची अपने ब्रांड का नाम adibas रख देते हैं। समझदार लोग अंतर समझ जाते हैं, पर अशिक्षित लोग इसके शिकार हो जाते हैं।

जहाँ तक Design Act की बात है, तो सर्वप्रथम 1911 में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे पारित किया गया। पहले पेटेंट एवं डिजाइन विधेयक कानून एक ही था। 1970 में पेटेंट कानून के अलग होने के बाद यह केवल

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

'Design Act' 1911 रह गया। 2000 में इसे निरस्त कर दिया गया। फिर 11 मई 2001 से यह एक्ट प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य इस प्रकार है–

1.रजिस्ट्रीकृत डिजाइनों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना।

2.उत्पादित तत्त्वों में डिजाइन के तत्त्वों को बढ़ावा देना।

3.डिजाइन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

अनेक छात्र–छात्राओं ने जिज्ञासाएँ एवं प्रश्न किये; जिसका समाधान मुख्य वक्ता ने किया। प्राचार्य महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन दिया और प्रो0 राजेश कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116
(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)
Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–5

आज दिनांक –30.11.2022,को पूर्वाहन 11:30 बजे हॉल न0–1 में प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ,जिसका विषय था –"बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत् पेटेंट (Patent)"। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता थे– श्री अभिजीत दुबे (कनिष्ठ अभियंता,नगर पंचायत, हुसैनाबाद।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक– शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित हुए।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय – प्रवेश NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो0 राजेश कुमार सिंह ने किया। मुख्य वक्ता श्री अभिजीत दुबे (J.E) ने कहा कि आजाद भारत में पटेंट कानून 19 Sept. 1970 को लागू हुआ,लेकिन इसका एक लंबा इतिहास है। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के दौरान 1911 में पेटेंट और डिजाइन अधिनियम पारित किया गया। फिर इसकी सार्थकता की जाँच के लिए 1948 में एक जाँच समिति नियुक्त की गई। जाँच रिपोर्ट 1950 में प्रस्तुत की गई। 7 Dece,1953 को यह विधेयक लोकसभा में पेश हुआ,पर अधिनियम न बन सका । 1957 में न्यायमूर्ति एन0 राजगोपाल अयंगर को पेटेंट विधेयक की समीक्षा एवं सुझाव के लिए नियुक्त किया गया । 1959 में अयंगर द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1965 में लोकसभा में विधेयक पेश किया गया,जो अंतत: 1970 में पास हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 19 Sept.1970 को पेटेंट कानून बना ।

लेकिन पेटेंट का इतिहास विश्व पटल पर बहुत पुराना है। सर्वप्रथम वेनिस में 1474 ई0 में यह बना । फिर 1624 ई0 में इग्लैंड में, 1791 ई0 में फ्रांस में और 1800–82 ई0 के मध्य अनेक देशों में बना । पेटेंट संबंधी अनेक वैश्विक सम्मेलन हुए। 1883 ई0 में पेरिस में 1900 ई0 में ब्रसेल्स में,1914 ई0 में वाशिंगटन में 1925 में हेग में 1934 में, लंदन में, 1958 में लिस्बन में, और 1967 में स्टॉकहोम में। भारत में पेटेंट का मुख्यालय नागपुर में है। पेटेंट

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

3 तरह के होते है– 1 Utility Patent 2 Design Patent 3 Plant Patent । पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि पेटेंट वह है जो किसी देश द्वारा किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार के निर्माण,उपयोग, अधिकार विनिर्माण और विपणन का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए जरूरी है कि वह आविष्कार कानून में उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी करे । यह शर्ते पुरी होने पर उस देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा उस आविष्कार के स्वामी को एक इस विशेष अधिकार का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस विशेष अधिकार का अर्थ है कि कोई भी अन्य व्यक्ति उस पेटेंटधारी व्यक्ति की अनुमति के बिना उस आविष्कार का निर्माण, उपयोग,विनिर्माण या विपणन नहीं कर सकता। विधि के अनुसार पेटेंट एक संपति अधिकार है इसलिए इसे दिया,विरासत में पाया,बेचा, लाइसेंस किया या त्यागा भी जा सकता है। पेटेंट चूँकी राज्य द्वारा दिया जाता है, इसलिए राज्य चाहे तो विशेष परिस्थितियों में जनहित में इसे वापस भी ले सकता है, चाहे इसे बेच दिया गया है,लाइसेंस कर दिया गया हो या विनिर्मित कर दिया गया हो। आविष्कार का स्वामी यदि दूसरे देशों में भी पेटेंट प्राप्त करना चाहते है, तो उसे उन देशों में इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा और शुल्क जमा कराना होगा।

मख्य वक्ता ने कहा कि एक आविष्कार भले ही नवीन हो,अनूठा हो और उपयोगी भी हो,लेकिन भारत में वह निम्न परिस्थितियों में पेटेंट नहीं हो सकता –

(क) ऐसा अधिकार जो बहुत तुच्छ हो या प्रचलित शाश्वत नियमों के विपरीत होने का दावा करता हो।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

(ख) ऐसा आविष्कार जिसका प्रायोगिक या जानबूझकर किया गया उपयोग या व्यावसायिक दोहन,विधि या नैतिकता के विपरीत हो अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुओं की वनस्पति या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो।

(ग) मात्र किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या प्रकृति में मौजूद किसी जीवित या अजीवित पदार्थ या अमूर्त सिद्धांत की खोज ।

(घ) मात्र किसी ज्ञात पदार्थ, किसी नये गुण,नये उपयोग की खोज या किसी ज्ञात प्रक्रिया मशीन या उपकरण का कोई नया उपयोग; जब तक कि उस नई प्रक्रिया से किसी नये उत्पाद का निर्माण न हो रहा हो या उससे किसी नये प्रक्रिया का नियोजन न हो रहा हो।

(ङ) किसी दिमागी कार्य की कोई योजना या तरीका या किसी खेल को खेलने का नियम।

(च) ऐसा कोई आविष्कार जो वास्तव में कोई परंपरागत ज्ञान है या परंपरागत वस्तुओं के गुणों का एकत्रीकरण या डुप्लीकेशन है।

(छ) परमाणु उर्जा से संबंधित आविष्कार इत्यादि।

छात्र–छात्राओं ने अनेक सवाल किये और मुख्य वक्ता ने उसके जवाब दिये। कार्य–शाला का माहौल पूरी तरह खुशनुमा रहा। अध्यक्षीय संबोधन प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो0 शशि भूषण ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C - 42771 Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–6

आज दिनांक–09.01.2023 को पूर्वाहन 11:30 बजे हॉल नं0–01 में प्राचार्य प्रो0 सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में "बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कार्यशाला का आयोजन हुआ; जिसका विषय था–बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत् 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indication) विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला"। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि–सह–वक्ता संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज, रेहला के प्राचार्य–सह–विभागाध्यक्ष, भूगोल प्रो0 संतोष मिश्र थे।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित हुए–

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C - 42771 Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116
(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)
Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यक्रम में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय–प्रवेश समन्वयक, आई0 क्यू0 ए0 सी0 डॉ0 राम सुभग सिंह ने किया। मुख्य अतिथि–सह–वक्ता प्रो0 संतोष मिश्र (प्राचार्य, संत तुलीसदास डिग्री कॉलेज, रेहला) ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू "भौगोलिक संकेतक" (G.I.) है। भौगोलिक संकेतक वे नाम हैं, जो कुछ कृषि संबंधी वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं या किसी देश या उसके किसी क्षेत्र या नगर में विनिर्मित या पैदा की जाने वाली वस्तुओं से जोड़े जाते हैं। उस वस्तु की गुणवता, प्रतिष्ठा और अन्य गुण उस भौगोलिक क्षेत्र से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए– दार्जिलिंग चाय, चंदेरी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, स्कॉच व्हिस्की आदि।

जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो लोगों या उत्पादकों का समूह, कोई संगठन, किसी कानून या इसके तहत कोई अधिकरण, जो संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है और उन वस्तुओं के संबंध में भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है; वह लिखित में रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन कर सकता हैं।

मुख्य वक्ता प्रो0 मिश्र ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की कुछ शर्तें हैं। निम्न स्थितियों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता:–

1.भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है या कानून के विपरीत है,

2.इसमें कोई विवादित या अश्लील सामग्री है या भारत के किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती है।

3.यह कोई जेनेरिक नाम है।

4.यदि उसके मूल देश में इसे संरक्षण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है या इसका उपयोग बंद हो गया है।

5.इसके मूल के बारे में गलत दावा किया गया है।

COORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

भौगोलिक संकेतक से संबंधित एक्ट का पूरा नाम है– "वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण व संरक्षण) एक्ट, 1999"। इसकी अवधि 10 वर्ष की होती है, लेकिन समय–समय पर नवीनीकरण शुल्क देकर इसका असीमित समय के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। एक्ट के तहत भौगोलिक संकेतक के बारे में गलत दावा करने पर 6 माह से 3 वर्ष का कारावास और 50,000 से 2,00,000 रु तक के जुर्माना का प्रावधान है। न्यायालय चाहे तो सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर सकता है।

छात्र–छात्राओं ने संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिसका प्रत्युत्तर मुख्य वक्ता ने दिया। प्राचार्य महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो0 मुकेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

AISHE : C - 42771 Estd. - 1984

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–7

आज दिनांक–15.03.2023 को पूर्वाहन–11:30 बजे हॉल नं0–01 में प्रभारी प्राचार्य प्रो0 शशि भूषण की अध्यक्षता में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ; जिसका विषय था– "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत् कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला।" इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि–सह–वक्ता थे–जी0 एल0 ए0 कॉलेज, मेदिनीनगर के भौतिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रो0 (डॉ0) आर0 के0 झा।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित हुए–

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116
(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)
Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रो0 रेखा कुमारी सिंह (हिन्दी विभाग) ने किया। विषय–प्रवेश आई0 क्यू0 ए0 सी0 कोऑर्डिनेटर डॉ0 राम सुभग सिंह ने किया। मुख्य अतिथि–सह–वक्ता प्रो0 (डॉ0) आर0 के0 झा ने काफी गहनता, सरलता एवं रोचकता से बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न पहलुओं–कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क–पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति की बुद्धि से उत्पन्न कला, साहित्य, आविष्कार आदि का संरक्षण एवं उसके हित के लिए कार्य करना है। यदि हम खेती करें और फसल कोई और काट ले जाये; तो ऐसी स्थिति में खेती करने का कष्टमय एवं जोखिम भरा काम भला कोई क्यों करना चाहेगा।

प्रो0 झा के वक्तव्य का सार निम्न प्रकार है–
कॉपीराइट कानून जनवरी 1958 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत् ये विषय हैं– मौलिक साहित्य, नाटक, संगीत और कला कृतियाँ; सिनेमेटोग्राफ फिल्में, एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है। कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा और/ या 50 हजार से 3 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है।

दुनिया के पैमाने पर पेटेंट का इतिहास 500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। सर्वप्रथम 1474 ई0 में वेनिस में पेटेंट कराया गया था। फिर इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी देशों में पेटेंट को लेकर अनेक वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं। पेटेंट तीन तरह के होते हैं–

1.उत्पाद पेटेंट।

2.प्रारुप पेटेंट।

3.पादप पेटेंट।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

पेटेंट की परिधि से प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक वस्तुओं और अमूर्त/दार्शनिक विचारों को बाहर रखा गया है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है। पेटेंट को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है।

Trade Mark Act-1999 भारत में 15 Sep-2003 से लागू हुआ। इसके तीन उद्देश्य हैं–

1.व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्री कराया जाना।

2.माल एवं सेवा के व्यापार चिन्हों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना।

3.माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना। इसका रजिस्ट्रीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्ट्री 10 वर्ष के लिए होती है। फिर नवीनीकरण कराना होता है।

मुख्य वक्ता से छात्र–छात्राओं ने अनेक प्रश्न पूछे, जिसका जवाब उनके द्वारा दिया गया। प्रभारी प्राचार्य प्रो0 शशि भूषण ने अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और ध्न्यवाद ज्ञापन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यशाला संख्या–8

आज दिनांक–09.05.2023, दिन मंगलवार को पूर्वाहन 11:00 बजे कमरा संख्या–11 में प्राचार्य सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला (Workshop) का आयोजन किया गया; जिसका विषय था–"बौद्धिक संपदा अधिकारः वर्तमान पूँजीवादी युग में महत्त्व (Intellectual Property Right: Importance in Modern Capitalist Age)। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष– सह– समन्वयक, IQAC डॉ0 राम सुभग सिंह थे। कार्यशाला में निम्नांकित शिक्षक एवं छात्र–छात्राएँ उपस्थित हुए–

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Scanned with OKEN Scanner

A.K. SINGH COLLEGE

JAPLA, PALAMU, JHARKHAND – 822116

(A Permanent affiliated Unit of NPU, Medininagar & Recognized by UGC)

Website - https://akscollege.com, Email - akscollege84@gmail.com

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो0 राहुल कुमार सिंह ने किया। हिन्दी के विभागाध्यक्ष डॉ0 आलोक रंजन कुमार ने विषय–प्रवेश किया। इसके बाद भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो0 मुकेश कुमार ने बौद्धिक संपदा अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किये। अनन्तर मुख्य वक्ता डॉ0 राम सुभग सिंह (समन्वयक, आई0 क्यू0 ए0 सी0) ने विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि यह बौद्धिक संपदा अधिकार वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था के अनुरुप है। यह पूँजीवादी व्यवस्था की जरुरत है। पूँजीवादी का एक ही उद्देश्य है– येन–केन–प्रकारेण मुनाफा कमाना। रचना या आविष्कार कोई जीनियस व्यक्ति करता है,जो आमतौर पर धनी या पूँजीपति नहीं होता। वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में यह रचना, कला एवं आविष्कार आम जनता के प्रयोग/उपभोग में तब तक नहीं आ सकता; जब तक कोई प्रकाशक/कंपनी/पूँजीपति/सरकार इसे अपने अधिकार में न ले ले अर्थात् उस पर अपना स्वामित्व कॉपीराइट/पेटेंट/ट्रेडमार्क न हासिल कर ले। पूँजीपति न्यूनतम मूल्य चुकाकर लेखक,कवि, कलाकार,आविष्कारक या वैज्ञानिक से इसे खरीद लेता है और फिर इस टेक्नोलॉजी, को औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग कर भारी मुनाफा अर्जित करता है, किताबों पर मामूली रॉयल्टी देकर शेष मुनाफा हड़प लेता है। किसी कलाकार की कला के साथ भी यही होता है। इसीलिए पूँजीवादी सभ्यता का बौद्धिक संपदा अधिकार पर इतना जोर है।

डॉ0 सुभग ने कहा कि प्राचीन धर्मग्रंथों–वेद, उपनिषद् गीता, कुरान, बाइबल, गुरुग्रंथ साहब इत्यादि पर कभी कोई कॉपीराइट नहीं था। ये समस्त मानवता के लिए सर्वसुलभ थे। कबीर, तुलसी, प्लेटो, अरस्तू इत्यादि ने भी अपनी रचनाओं पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा। यदि भाषा पर पेटेंट का कानून बन जाये, तो न जाने कितने लोग भाषाविहीन हो जायें।

COORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

एक समाजवादी समाज में बौद्धिक संपदा अधिकार की कोई जरुरत नहीं रह जायेगी, क्योंकि व्यक्ति की चिन्ता समाज करेगा और व्यक्ति जो भी सृजन करेगा, वह समस्त समाज की संपति होगा।

प्राचार्य महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन दिया और छात्र–छात्राओं के प्रश्नों का समाधान किया। प्रो0 रेखा कुमारी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई।

CO-ORDINATOR
IQAC
A.K. SINGH COLLEGE
JAPLA, PALAMU

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

Scanned with OKEN Scanner

MY SCHOLAR™

FANCY REGISTER

Work Shop Register

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यशाला पंजी (Workshop Register) में कुल 192 पृष्ठ है।

07.12.2020

प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक - 11.02.2020 3

सूचना संख्या - 1

सभी शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र - छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.02.2020 को बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है; जिसका विषय है — " Intellectual property Right : A Law to protect the Intellectuality of Individual.

अतः आप सभी उक्त तिथि को पूर्वाह्न 10.30 बजे हॉल नं० - 1 में उपस्थिति एवं भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

11.2.2020
प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
Japle, Palamau

1. Arun Kumar Singh

R S Singh

S K Singh

R.K.Singh

A.K.Singh

R Kumar

दिनांक- 18.02.2020

A

कार्यशाला संख्या - 1

आज दिनांक - 18.02.2020, दिन - मंगलवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे हॉल नं० - 1 में प्राचार्य प्रो० अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला (workshop) का आयोजन किया गया, जिसका विषय था — "Intellectual property Right : A Law to protect the Intellectuality of Individual." इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि जी० एल० ए० कॉलेज, मेदिनीनगर के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० (डॉ०) एस० सी० मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि तदर्थ शासी निकाय (Adhoc G.B.) के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार सिंह तथा सम्मानित अतिथि के रूप में S.P.D. college, Garhwa के प्रो० विवेकानन्द उपाध्याय उपस्थित हुए।

इस कार्यशाला में गणमान्य व्यक्ति सहित निम्नांकित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित हुए —

1. प्रो० अशोक कुमार सिंह (प्राचार्य) — [signature] 18.2.20
2. प्रो० रविकान्त सिंह (IQAC, Co-ordinator) — Ravikant
3. प्रो० (डॉ०) एस० सी० मिश्र (G.L.A. College, Medininagar) — [signature]
4. श्री अरुण कुमार सिंह (अध्यक्ष, तदर्थ समिति) — [signature]
5. प्रो० विवेकानन्द उपाध्याय (S.P.D. college, Garhwa) — [signature]
6. डॉ० राम सुभग सिंह — [signature]
7. प्रो० अरुण कुमार सिंह — [signature]
8. प्रो० राहुल कुमार सिंह [signature]
9. प्रो० रंजना कुमारी सिंह — R.K. Singh
10. " अशोक कुमार सिंह - [signature]
11. डॉ० आलोक रंजन कुमार — [signature]
12. प्रो० [illegible] सिंह [signature]
13. ओम प्रकाश सिंह [signature]
14. Satish Prasad — SP
15. Prof. Sudhir Kumar Singh — SKSingh
16. मुकेश कुमार — Mukesh
17. डॉ० शिवकुमार विश्वकर्मा — [signature]
18. भारती कुमारी — भारती कुमारी
19. YASHWANT Mehta — Jashwant Mehta

5

20. Dhiraj

20. Dhiraj Kumar Mehta
21. Shobha Kumari
22. Mamta Kumari
23. Raviranjan Kumar
24. Neha Kumari
25. Pratima Kumari
26. कविता कुमारी
27. Sonali Kumari
28. नेहा कुमारी
29. Dharmbir Malakar
30. Raj Malhotra
31. Khushi Choudhary
32. Anjali choudhary
33. अंजली पासवान
34. आरती मेहता
35. Satyam Kumar
36. Chandan Pandey
37. पंकज कुमार यादव
38. पप्पू पासवान
39. Sonakshi Singh
40. [signature]
41. [signature]

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही (proceeding)

प्राचार्य अशोक कुमार सिंह, प्रो० (डॉ०) एस० सी० मिश्र, श्री अरुण कुमार सिंह, प्रो० विवेकानन्द उपाध्याय एवं प्रो० रविकान्त सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के स्वयंसेवकों — प्रशिक्षा रंजन राज, सरस्वती रंजन, अर्चना वर्मा, हेमा कुमारी एवं साधना कुमारी द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान एवं सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया।

विषय-प्रवेश महाविद्यालय के दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ० राम खुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो० राजेश कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि प्रो० एस० सी० मिश्र ने बहुत ही बोधगम्य शैली में कॉपीराइट, पेटेंट, इनोवेशन इत्यादि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपलोग जो किताब पढ़ते हैं, उसका जो लेखक होता है, उसके नाम से या उसके उत्तराधिकारी के नाम से कॉपीराइट होता है। यदि कोई भी लेखक के पूर्वानुमति के बिना उसके किसी अंश का उपयोग करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई, किसी नई चीज का आविष्कार करता है, तो उसके नाम से उस चीज का पेटेंट होगा। उसकी इच्छा के बिना उस चीज का कारखाने में उत्पादन नहीं किया जा सकता।

विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बुद्धि एक संपदा है, जिस पर उस व्यक्ति का अधिकार है। उसकी बुद्धि से यदि कोई नया विचार उत्पन्न होता है, किसी नई चीज का सृजन होता है, तो उस पर उसका कॉपीराइट/पेटेंट होगा। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसका उपयोग नहीं कर सकेगा।

सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज, गढ़वा (पलामू) के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो० विवेकानन्द उपाध्याय ने भी बौद्धिक संपदा अधिकार के कुछ पहलुओं पर अपने विचार रखे। इस विषय पर महाविद्यालय के निम्न प्राध्यापकों ने भी अपने विचार व्यक्त किये — डॉ० आलोक रंजन कुमार, डॉ० अजय कुमार सिंह, प्रो० रेखा कुमारी सिंह एवं प्रो० सतीश प्रसाद। व्याख्यान के बाद एक घंटा का प्रश्नोत्तर

Scanned with OKEN Scanner

सत्र रखा गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासाएँ एवं

Third eye 19.02.2020

बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

मंच पर उपस्थित अतिथि।

हुसैनाबाद 18 फरवरी (सं.सू.) जपला स्थित एक निजी कॉलेज में आईक्यूएसी के तत्वावधान में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने की। इस संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.पी. मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह व प्राचार्य अशोक कुमार सिंह के साथ मिल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

इस मौके पर प्रोफेसर एस.पी. मिश्र ने बड़े ही सहज और सरल भाव से बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहानी के माध्यम से बौद्धिक संपदा कॉपीराइट, पेटेंट, इनोवेशन इत्यादि विषयों को विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया।

विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार सिंह ने महाविद्यालय में आवश्यक संरचनाओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शिक्षक और छात्र के बीच में समरस संबंध बना रहे इसके लिए विद्यार्थियों को कैंपस से अधिक से अधिक जुड़ने की आवश्यकता है। तभी बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर संगोष्ठी की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह ने अध्यक्षीय संबोधन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला।

इससे पहले एनएसएस के स्वयंसेवकों प्रतिभा रंजन राज, सरस्वती रंजन, अर्चना शर्मा, [illegible] कुमारी एवं सपना कुमारी द्वारा सरस्वती वंदना एवं अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने किया। बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर [illegible] विषय प्रवेश डॉ. राम कुमार सिंह ने किया। डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर रेखा सिंह, प्रोफेसर [illegible] प्रोफेसर सतीश प्रसाद, प्रोफेसर विजयानंद उपाध्याय ने संगोष्ठी के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। [illegible] विभाग के [illegible] स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एवं [illegible] भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत [illegible] को बढ़-चढ़कर भागीदारी [illegible] लिए प्रेरित किया।

मौके पर शिक्षक प्रतिनिधि मुकेश कुमार, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रविकांत सिंह, मदन कुमार सिंह, डॉक्टर शिवकुमार विश्वकर्मा, देवेंद्र नाथ गुप्ता, डॉ. अरविंद सिंह, सौरभ कुमार सिंह, अभिभूषण सिंह, सत्येंद्र कुमार पांडेय, राहुल कुमार, [illegible] राम, रवि कुमार, अनिमेष कुमार सिंह, उमाशंकर प्रसाद सिंह, प्रोफेसर सुनिता जैन सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। संगोष्ठी के उपरांत रंगोली, मेहंदी, चित्रकला एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. सुदर्शन सिंह के द्वारा किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

8/ DT – 22.12.2021

सूचना संख्या – 2

सभी शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है; जिसका विषय है – "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत कॉपीराइट की उपादेयता।"

अतः आप सभी उक्त तिथि को निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

22/12/2021
प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

1. Arun Kumar Singh –

R S Singh

R K Singh

S K Singh

A K Singh

H R Singh

9

दिनांक – 07.01.2022

कार्यशाला संख्या – 2

आज दिनांक – 07.01.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हॉल नं०–1 में प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका विषय है – "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत कॉपीराइट की उपादेयता।" इस एक दिवसीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता थे श्री अंगद किशोर जी, जो एक शिक्षक, इतिहासकार, पुरातत्वविद् और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्न शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी एवं विद्यार्थीगण उपस्थित हुए —

1. SURYA MANI SINGH (principal) — [signature] 07/01/2022 (Principal ... Japla, Palamau)
2. Dr. Ram Subhag Singh (IQAC, co-ordinator) — RSSingh
3. अंगद किशोर (शिक्षक, इतिहासकार और लेखक) — अंगदकिशोर
4. Arun Kumar Singh — [signature]
5. प्रो० राजेश कुमार सिंह — [signature]
6. Shashi Bhushan — [signature]
7. Rekha Kumari Singh — R.K.Singh
8. Rahul Kumar Singh — [signature]
9. Priyanshu Gupta — Priyanshu
10. Nikhil Kr. Singh — N. Singh
11. Ankit Singh — Ankit
12. Renu Kumari — Renu
13. Muskan Kumari — Muskan Kumari
14. Nitu Raj — Nitu Raj
15. Sapna Chandravanshi — Sapna
16. Musarrat Faridi — musarrat faridi
17. Himanshu Kumari — Himanshu
18. Anjali Kumari — Anjali
19. Kiran Kumari — Kiran Kumari
20. Rimjhim Singh — Rimjhim Singh
21. Shreya Shikha — Shreya Shikha
22. Sandhya Kumari — [signature]

Scanned with OKEN Scanner

10

23) Rita Kumari
24) Sandhya kumari
25) Pushpa Kumari
26 Dr. Alok Ranjan Kumar — AB
27) Pawan Kumar
28) Raviranjan Kumar
29) Khushbu Kumari
30 Prof. Sudhir Kumar Singh — SKSingh
31 मुकेश कुमार — Mukesh
32. ओम प्रकाश कुमार विश्वकर्मा — [illegible]
33. Pratima Kumari
34. Sonali Kumari
35. [illegible]
36. Khushboo Kumari
37. Pramjyoti kumari
38. Kundan Kumar Sharma
39. संदिप कुमार विश्वकर्मा
40. कविता कुमारी
41. वंदना शर्मा
42. Nikhil Kumar Singh
43. Ashok paswan
44. सोनम कुमारी
45. Pankaj Kumar
46. Daulat Kumar
47. R K [illegible]
48. [illegible]
49. [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही (Proceeding)

प्राचार्य प्रो० सूर्यमणि सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला हुई, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विषय-प्रवेश डॉ० राम कुमार सिंह (विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र - सह - समन्वयक, आई० क्यू० ए० सी०) ने किया। इसके पश्चात् मुख्य वक्ता श्री अंगद किशोर (शिक्षक, इतिहासकार, पुरातत्त्वविद् एवं लेखक) ने कॉपीराइट पर विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया। इन्होंने कहा कि भारत में कॉपीराइट से संबंधित कानून 1957 में पारित किया गया और 21 जनवरी 1958 से लागू हुआ। कॉपीराइट में निम्नांकित विषय समाहित हैं — साहित्य, नाटक और संगीत संबंधी कार्य, कम्प्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर जो साहित्यिक कार्य की परिभाषा में आते हैं, कला संबंधी कृतियाँ, सिनेमा, जिसमें साउंड ट्रैक और वीडियो फिल्में भी शामिल हैं, रिकार्ड, कोई भी डिस्क, टेप या अन्य डिवाइस।

श्री अंगद किशोर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी की रचना, कृति एवं कला की नकल करता है या उसे अपने नाम से प्रचारित-प्रसारित करता है, तो वह दंड का भागी होगा। किसी साहित्यिक कृति के कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है, लेकिन प्रसारण के संबंध में जिस वर्ष प्रसारण किया गया, उसके अगले कैलेण्डर वर्ष की शुरुआत से 25 वर्ष तक। प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण, जिसमें सामान्यतः प्रोग्राम ही होता है, अलग कृति माना जाता है और यदि इसे रजिस्टर्ड कराना हो, तो अलग से आवेदन करना होगा; कम्प्यूटर प्रोग्राम के साथ नहीं। यह भी ध्यान योग्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियोक्ता के लिए कोई प्रोग्राम बनाता है, तो उस पर उस नियोक्ता का ही कॉपीराइट होगा, जब तक कि कोई अन्य अनुबंध न हो।

श्री अंगद जी ने कहा कि किसी विद्यमान कृति का कॉपीराइट धारक या किसी संभावित कृति का कॉपीराइट धारक पूर्णतः या अंशतः कॉपीराइट का हस्तांतरण भी कर सकता है, पूरे विश्व या किसी देश या क्षेत्र के लिए। कॉपीराइट सहित सभी अधिकार या इन अधिकारों का कोई भाग। सारांश यह है कि कॉपीराइट एक व्यक्ति की बुद्धि से उपजे किसी भी साहित्यिक या कलात्मक कृति को संरक्षण प्रदान करता है यदि कोई व्यक्ति अथक परिश्रम से कोई रचना करे और

Scanned with OKEN Scanner

कोई जालसाजी से उसे अपने नाम कर ले या उसका लाभ वह फर्जी व्यक्ति उठा ले, तो यह उस रचनाकार के साथ अन्याय होगा। कॉपीराइट कानून की यही उपादेयता है।

विद्यार्थियों ने अनेक प्रश्न पूछे, जिसका संतोषजनक उत्तर श्री अंगद जी ने दिया। अध्यक्षीय संबोधन प्राचार्य महोदय ने दिया। मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो० रेखा कुमारी सिंह ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला के समाप्ति की घोषणा की गई।

[signature] 07/01/2022

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

13

Dt. - 12.04.2022

सूचना संख्या - 3

सभी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20.04.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

अतः आप सभी इस कार्यशाला में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

12/04/2022

प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

1. O.M Prakash Singh. — OMPSingh.
2. Ravi Kumar — Ravi
3. Dr. Ram Subhag Singh —
4. Arun Kumar Singh —

Scanned with OKEN Scanner

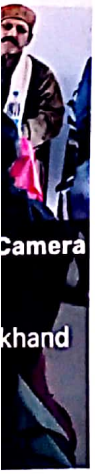

14

दिनांक - 20.04.2022

कार्यशाला संख्या - 3

आज दिनांक 20.04.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 'बौद्धिक संपदा अधिकार' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह ने की। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉ० आलोक रंजन कुमार तथा विशिष्ट वक्ता डॉ० राम सुभग सिंह (समन्वयक, आई० क्यू० ए० सी०) रहे।

इस कार्यशाला में निम्नांकित व्यक्ति उपस्थित हुए —

1. प्रो० सूर्य मणि सिंह (प्राचार्य) — [signature]
2. डॉ० राम सुभग सिंह (I.Q.A.C. Co-ordinator) — RSSingh
3. प्रो० (डॉ०) आलोक रंजन कुमार — [signature]
4. प्रो० अशोक कुमार सिंह — [signature]
5. प्रो० रेखा कुमारी सिंह — R.K.Singh
6. Prof. Sudhir Kumar Singh — SKSingh
7. मुकेश कुमार — Mukesh
8. डॉ० विनयकुमार विश्वकर्मा — [signature]
9. राहुल कुमार सिंह — [signature]
10. Arun Kumar Singh — [signature]
11. अनिल गुप्ता — [signature]
12. Harendra Singh — [signature]
13. अखिलेश्वर कुमार — [signature]
14. प्रभात कुमार सिंह — KS[signature]
15. Amarendra Kumar Singh. — A.K.Singh
16. OM Prakash Singh — OmPSingh.
17. Dr. Ravi Ranjan Ku Mishra — R.Ranjan
18. Ravi Kumar — Ravi K
19. Dr. Anand Kumar — An[signature]
20. Punam Kumari
21. Subhash Prakash
22. संतोष कुमार
23. अरशद अली
24. समीरा जायसवाल
25. Prem Dubey

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

26. Neha Kumari
27. भारती कुमारी
28. Mamta Kumari
29. Shobha Kumari
30. Nitu Kumari
31. Shukriti Kumari
32. Rinku Prajapati
33. Jyoti Kumari
34. Vivek Kumar
35. Abhishek Upadhyay
36. Govind Kumar
37. Rajranjan Kumar
38. Pushpa Kumari
39. Rima Kumari
40. Pinki Kumari
41. Prince Kumar

कार्यवाही (Proceeding)

कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। मुख्य वक्ता डॉ० आलोक रंजन कुमार ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत निम्न प्रमुख विषय आते हैं — कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और भौगोलिक संकेतक। आम आदमी भी इनका नाम जरूर सुना होता है। ये ऐसे विषय हैं, जिनसे विद्यार्थियों एवं नागरिकों को अवश्य ही अवगत होना चाहिए। इसलिए कि जाने-अनजाने इनसे संबंधित नियम-कानून का उल्लंघन होने पर व्यक्ति मुसीबत में फँस जाता है।

प्रो० आलोक ने बताया कि कॉपीराइट का कानून भारत में 1957 में पारित किया गया और 21 जन. 1958 से पूरे भारत में लागू हुआ। कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है। संयुक्त लेखक होने पर अंतिम लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक वह अधिकार रहेगा। कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक या नाट्य कृति का उस कृति के प्रथम

प्रकाशन के 7 वर्ष बाद भाषांतर के लिए कॉपीराइट बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं। पर यदि शिक्षण या शोध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, तो 3 वर्ष बाद ही भाषांतर के लिए अनुरोध कर सकता है (विज्ञान व वाणिज्य संबंधी कृति)। कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा और/या 50 हजार रूपये से 3 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

डॉ० आलोक ने कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1911 ई० में 'पेटेंट और डिजाइन अधिनियम' पारित किया गया था। 1948 में उक्त अधिनियम की सार्थकता की जाँच के लिए एक जाँच समिति बनाई गई। अंततः 19 Sept. 1970 को पेटेंट कानून बना। Design Act 1911 को 2000 में निरस्त कर पुनः 11 मई 2001 से लागू किया गया। ट्रेडमार्क कानून नये सिरे से 15 Sept. 2003 से लागू है। इसका उद्देश्य है माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना।

डॉ० राम कुमार सिंह के वक्तव्य का सारांश है कि बौद्धिक संपदा अधिकार पूँजीवादी दुनिया का शोषण का एक हथियार है, जिसके जरिए पूँजीवादी वर्चस्व को कायम किया जाता है और मानव श्रम के शोषण के जरिए एक विषमतामूलक समाज बनाये रखा जाता है।

प्राचार्य सूर्य मणि सिंह ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। डॉ० आनन्द कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा की गई।

[signature] 20/04/2022
Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

सूचना संख्या – 1

सभी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.09.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे हॉल नं. 1 में बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है; जिसका विषय है — "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत ट्रेडमार्क और डिजाइन"।

अतः आप सभी उक्त तिथि को निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

17/09/2022
प्राचार्य
एस० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
S.K. Singh College
Japla, Palamau

R88373 Shashi Rkumar Sgovind BB R.K.Singh Harun Akhtar Ksingh SKsingh A.K.Singh RRanjan Azizul Arun ARsingh

...ओपीराइट बोर्ड की
...या शोध प्रयोजनों
...आधार पर के लिए
...ना संबंधी करें।
...र 6 माह से 3 साल
... 3 लाख तक के

...कहा कि ब्रिटिश सरकार
...अधिनियम 'पारित
...यम की सार्थकता
...गई। अंततः
...इकोंग्रा एक्ट 1911
...2001 से लागू
...5 अप्रैल 2003 में
...के कपटपूर्ण

...वक्तव्य का
...दी दुनिया का
...दारी वर्चस्व
...शोषण के जरिए
...।
...प्राचार्य सर्व
...आनन्द कुमार
...की अनुमति से

20/09/2022
Principal
...Singh College
...Japla, Palamau

18

कार्यशाला संख्या - 4

आज दिनांक - 22.09.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह ने की। कार्यशाला का विषय है — "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत ट्रेडमार्क और डिजाइन विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला।" इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे जे० एस० कॉलेज, मेदिनीनगर के वाणिज्य संकाय के अध्यक्ष - सह - प्राचार्य प्रो० (डॉ०) राणा प्रताप सिंह।

इस कार्यशाला में निम्नलिखित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित हुए —

1. प्रो० सूर्य मणि सिंह (प्राचार्य) — [signature] 22/09/2022
2. डॉ० राम सुमन सिंह (IQAC, Co-ordinator) — R.S.Singh
3. प्रो० (डॉ०) राणा प्रताप सिंह (प्राचार्य, जे० एस० कॉलेज, मेदिनीनगर) — RP
4. प्रो० रेखा कुमारी सिंह — R.K.Singh
5. प्रो० अभीत कुमार सिंह — [signature]
6. Sudhir Kumar Singh — S.K.Singh
7. मुकेश कुमार — [signature]
8. डॉ० शिवकुमार विश्वकर्मा — [signature]
9. राहुल कुमार सिंह — [signature]
10. Arun Kumar SSB — [signature]
11. Rajesh Kr Singh — [signature]
12. Shashi Bhushan. — [signature]
13. Harendra H Singh — [signature]
14. Akhilesh Kr Singh — [signature]
15. प्रो० सुनील कुमार सिंह — [signature]
16. Amarendra Kumar Singh. — A.K.Si
17. Dr. Ravi Ranjan Kr. Mishra — R Ranjan
18. Ravi Kumar — [signature]
19. Dr. Anand Kumar — [signature]
20. Dr. Alok Ranjan Kr — [signature]
21. Hina Kumari
22. Suganti kumari
23. Nisha Kumari

Principal, ... College, Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

24. Pinki kumari
25. Abhishek Upadhyay
26. Govind Kumar
27. Jyoti Kumari
28. Rehana Khadim
29. Yasmin Firdos
30. Kusum Kumari
31. Gulapsha Khatoon
32. Fatma Raza
33. Mukesh Kumar
34. Rahul kumar
35. संजय कुमार
36. Rahul kumar
37. रिंकी कुमारी
38. Imran Akhter
39. Reena Kumari

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय-प्रवेश आई० क्यू० ए० सी० कोऑर्डिनेटर डॉ० राम सुभग सिंह ने किया। वाणिज्य विभागाध्यक्ष - सह - प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह ने भी ट्रेडमार्क और डिजाइन विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। मुख्य वक्ता जे० एस० कॉलेज, मेदिनी नगर के प्राचार्य प्रो०(डॉ०) राणा प्रताप सिंह ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने ट्रेडमार्क एवं डिजाइन से संबंधित कानून बनाया है। 1958 में ~~Trade and Merchandise Marks Act~~ पारित किया गया था। फिर 1999 में इसके स्थान पर ~~Trade Marks Act~~ पारित किया गया। 15 Sept 2003 से यह Act पूरे भारत में लागू किया गया। इसके अंतर्गत निम्नांकित विषय शामिल हैं — उपकरण, छाप, शीर्षक, नामपत्र, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर अंक, माल का आकार, पार्सल/पैकिंग, रंगों का समुच्चय आदि Trademark Act के 3 मुख्य उद्देश्य हैं — ① व्यापार

चिन्ह का रजिस्ट्री कराया जाना, (ii) माल एवं सेवा के आधार चिन्हों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना (iii) माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना। इसका रजिस्ट्रीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्ट्री 10 वर्ष के लिए होती है। फिर Renewal कराना होता है। इस कानून से बचने के लिए कंपनियाँ मिलते-जुलते नाम रख देती हैं, लेकिन आम लोग भ्रमवश इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे - adidas का जूता है। तो नकलची अपने ब्रांड का नाम adibas रख देते हैं। समझदार लोग अंतर समझ जाते हैं, पर अशिक्षित लोग इसके शिकार हो जाते हैं।

जहाँ तक Design Act की बात है, तो सर्वप्रथम 1911 में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे पारित किया गया। पहले पेटेंट एवं डिजाइन विधेयक कानून एक ही था। 1970 में पेटेंट कानून के अलग होने के बाद यह केवल 'Design Act, 1911' रह गया। 2000 में इसे निरस्त कर दिया गया। फिर 11 मई 2001 से यह Act प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य इस प्रकार है — (क) रजिस्ट्रीकृत डिजाइनों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करना (ख) उत्पादित वस्तुओं में डिजाइन के तत्वों को बढ़ावा देना (ग) डिजाइन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

अनेक छात्र-छात्राओं ने जिज्ञासाएँ एवं प्रश्न किये; जिसका समाधान मुख्य वक्ता ने किया। प्राचार्य महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन दिया और प्रो० राजेश कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

22/09/2022

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

21 सूचना संख्या – 5 दिनांक - 23.11.2022

सभी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2022 को पूर्वाह्न - 11.30 बजे हॉल नं० - 1 में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है — "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत पेटेंट (Patent)।"

अतः सभी उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति/भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

23/11/2022
प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

दिनांक - 30.11.2022

कार्यशाला संख्या - 5

आज दिनांक - 30.11.2022, को पूर्वाह्न 11:30 बजे हॉल नं० - 1 में प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका विषय था — "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत पेटेंट (Patent) इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता थे — श्री अभिजीत दुबे (कनिष्ठ अभियंता, नगर पंचायत, हुसैनाबाद)।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र- छात्राएँ उपस्थित हुए —

1. प्रो० सूर्य मणि सिंह (प्राचार्य) — [signature] 30/11/2022
2. Abhijeet Dubey (J.E., हुसैनाबाद नगर पंचायत) [signature]
3. Dr. Ram Subhag Singh (IQAC-coordinator) — [signature]
4. Shashi Bhushan — [signature]
5. Alok Ranjan Kumar [signature]
6. Rekha Kumari Singh [signature]
7. Rahul Kumar [signature]
8. Arun Kumar Singh — [signature]
9. Rajesh Kr Singh [signature]
10. प्रो० प्रमोद कुमार सिंह [signature]
11. Sudhir Kumar Singh [signature]
12. डॉ० शिवकुमार विश्वकर्मा - [signature]
13. Harendra H Singh [signature]
14. Ravi Kumar [signature]
15. Kajal Kumari
16. Pushpa Kumari
17. Nitu Raj
18. Muskan Kumari
19. Renu Kumari
20. Prem Prakash
21. Brijesh Kumar
Nakul Thakur
22. SAURABH GANGULI
23. Rahul Kr Yadav
24. Ankur Kr. Singh
25. Sandhaya Kmari
26. Sandhya Kumari
27. Rita Kumari
28. Jyoti Kumari
29. Akanksha Sinha

Principal
A. S. College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

23

30 Anjali Kumari
31 Diwan Oumari
32 Chhaya Kumari
33 Rima Kumari
34 Amrita Kumari
35. Anu kumari
36. Anjali kumari
37. Nasrin Khatoon
38. Kusum Kumari
39. Khushi kumari
40. Babita Kumari
41. Sapna
42. Musarraf faridi
43. Gaurav Kumar
44. Tarun Kumar
45. Shreyashi rng
46. विद्यावती कुमारी
47. Rubi Kumari
48. Babali Kumari
49. Hanizfatma
50. Guddy Kumari
51. Nikhil Singh
52. kanchan kumari
53. Gitanjali kumari
54. Fiza Afrin
55. Anjali Kumari
56. Chandan kumar
57. Raviranjan kumar
58. Pawan Kumar
59. R R [illegible]
60. Anand kumar

24

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय-प्रवेश NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो० राजेश कुमार सिंह ने किया। मुख्य वक्ता श्री अभिजीत दुबे (J.E.) ने कहा कि आजाद भारत में पेटेंट कानून 19 Sept. 1970 को लागू हुआ, लेकिन इसका एक लंबा इतिहास है। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के दौरान 1911 में पेटेंट और डिजाइन अधिनियम पारित किया गया। फिर इसकी सार्थकता की जाँच के लिए 1948 में एक जाँच समिति नियुक्त की गई। जाँच रिपोर्ट 1950 में प्रस्तुत की गई। 7 Dec. 1953 को यह विधेयक लोकसभा में पेश हुआ, पर अधिनियम न बन सका। 1957 में न्यायमूर्ति एन० राजगोपाल अयंगर को पेटेंट विधेयक की समीक्षा एवं सुझाव के लिए नियुक्त किया गया। 1959 में अयंगर द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1965 में लोकसभा में विधेयक पेश किया गया, जो अंततः 1970 में पास हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से 19 Sept. 1970 को पेटेंट कानून बना।

लेकिन पेटेंट का इतिहास विश्व पटल पर बहुत पुराना है। सर्वप्रथम वेनिस में 1474 ई० में यह बना। फिर 1624 ई० में इंग्लैंड में, 1791 ई० में फ्रांस में और 1800-82 ई० के मध्य अनेक देशों में बना। पेटेंट संबंधी अनेक वैश्विक सम्मेलन हुए। 1883 ई० में पेरिस में, 1900 ई० में ब्रुसेल्स में, 1914 ई० में वाशिंगटन में, 1925 में हेग में, 1934 में लंदन में, 1958 में लिस्बन में, और 1967 में स्टॉकहोम में। भारत में पेटेंट का मुख्यालय नागपुर में है। पेटेंट 3 तरह के होते हैं — (i) Utility patent (ii) Design patent (iii) Plant patent। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष की होती है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि पेटेंट वह है जो किसी देश द्वारा किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार के निर्माण, उपयोग, विनिर्माण और विपणन का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए जरूरी है कि वह आविष्कार कानून में उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी करे। यह शर्तें पूरी

होने पर उस देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा उस आविष्कार के स्वामी को एक इस विशेष अधिकार का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस विशेष अधिकार का अर्थ है कि कोई भी अन्य व्यक्ति उस पेटेंटधारी व्यक्ति की अनुमति के बिना उस आविष्कार का निर्माण, उपयोग, विनिर्माण या विपणन नहीं कर सकता। विधि के अनुसार पेटेंट एक संपत्ति अधिकार है इसलिए इसे दिया, विरासत में पाया, बेचा, लाईसेंस किया या त्यागा भी जा सकता है। पेटेंट चूँकि राज्य द्वारा दिया जाता है, इसलिए राज्य चाहे तो विशेष परिस्थितियों में जनहित में इसे वापस भी ले सकता है, चाहे इसे बेच दिया गया है, लाईसेंस कर दिया गया हो या विनिर्मित कर दिया गया हो। आविष्कार का स्वामी यदि दूसरे देशों में भी पेटेंट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उन देशों में इसके लिए अलग से आवेदन करना होगा और शुल्क जमा कराना होगा।

मुख्य वक्ता ने कहा कि एक आविष्कार भले ही नवीन हो, अनूठा हो और उपयोगी भी हो; लेकिन भारत में वह निम्न परिस्थितियों में पेटेंट नहीं हो सकता—

(क) ऐसा अधिकार जो बहुत तुच्छ हो या प्रचलित शाश्वत नियमों के विपरीत होने का दावा करता हो।

(ख) ऐसा आविष्कार जिसका प्रत्यक्षिक या जानबूझकर किया गया उपयोग या व्यावसायिक दोहन, विधि या नैतिकता के विपरीत हो अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुओं की वनस्पति या पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो।

(ग) मात्र किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या प्रकृति में मौजूद किसी जीवित या अजीवित पदार्थ या अमूर्त सिद्धांत की खोज।

(घ) मात्र किसी ज्ञात पदार्थ, किसी नये गुण, नये उपयोग की खोज या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण का कोई नया उपयोग; जब तक कि उस कई प्रक्रिया से किसी नये उत्पाद का निर्माण न हो रहा हो या उससे किसी नये प्रक्रिया का नियोजन न हो रहा हो।

(ङ) किसी दिमागी कार्य की कोई योजना या तरीका या किसी खेल को खेलने का नियम

(च) ऐसा कोई आविष्कार जो वास्तव में कोई परंपरागत ज्ञान है या परंपरागत वस्तुओं के गुणों का एकत्रीकरण या डुप्लीकेशन है।

(छ) परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार इत्यादि।

छात्र-छात्राओं ने अनेक सवाल किये और मुख्य वक्ता ने उसके जवाब दिये। कार्यशाला का माहौल पूरी तरह खुशनुमा रहा। अध्यक्षीय संबोधन प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन प्रो० शशि भूषण ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

30/11/2022
Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

27

दिनांक - 02.01.2023

सूचना संख्या - 6

सभी शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र - छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.01.2023 को पूर्वाह्न - 11.30 बजे, हॉल नं० - 1 में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है — "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अंतर्गत 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indication) पर एकदिवसीय कार्यशाला।"

अतः आप सभी उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

02/01/2023
प्राचार्य
एस० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
S.K. Singh College
Japla, Palamu

R.S. Singh

R.K. Singh

SK Singh

A.K. Singh

R. Ranjan

28

दिनांक - 09.01.2023

कार्यशाला संख्या - 6

आज दिनांक - 09.01.2023 को प्रवीण 11.30 बजे हॉल नं० - 1 में प्राचार्य प्रो० सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कार्यशाला का आयोजन हुआ; जिसका विषय था - "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत 'भौगोलिक संकेतक' (Geographical Indication) विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला"। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि - सह - वक्ता संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज, रेहला के प्राचार्य - सह - विभागाध्यक्ष, भूगोल प्रो० संतोष मिश्र थे।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र - छात्राएँ उपस्थित हुए -

1. प्रो० सूर्य मणि सिंह (प्राचार्य) — [signature]
2. Prof. Santosh Mishra (Principal, S.T.D.C. Rehla) — S. Mishra
3. डॉ० राम सुमन सिंह (IQAC, Co-ordinator) — R.S. Singh
4. प्रो० - शशि भूषण — [signature]
5. मुकेश कुमार — Mukesh
6. डॉ० शिवकुमार तिवारी — [signature]
7. राहुल कुमार सिंह — [signature]
8. Arun kumar Singh — [signature]
9. Rajesh Kr Singh — RB
10. [illegible] — [signature]
11. Akhilesh [illegible] — [signature]
12. प्रो० सुनील कुमार [illegible] — [signature]
13. Prof Sudhir Kumar Singh — SKSingh
14. prof. Ashok Kr. Singh — [signature]
15. Amarendra Kumar Singh. — A.K.Singh
16. Ravi Kumar — Ravi
17. Dr. Anand Kumar — [signature]
18. Dr. Alok Ranjan — [signature]
19. Bheem Singh.
20. पूजा कुमारी
21. शालिनी कुमारी

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

22. Abhay kumar Singh
23. Priya kumari
24. Nisha Kumari
25. fatma Razza
26. Gulapsha khatoon
27. Hina kumari
28. Suganti kumari
29. Prerna kumari
30. Amit kumar.
31. अमन कुमार
32. Vicky kumar chauhan
33. Anup KUMAR
34. Priyanshu singh
35. Aryam kumar patel.
36. Sonali kumari
37. Sushma kumari
38. Punam kumari
39. रवी कुमारी
40. प्रेमज्योति कुमारी
41. पंकज कुमार दुबे
42. Rukhsar Khatoon
43. Md. Aslam
44. शांतनु मिश्रा
45. Prince Kumar
46. अमित कुमार
47. खुशबू कुमारी
48. Pankaj Kumar
49. मुकेश कुमार
50. Mamta kumari
51. Vishal Kumar Yadav
52. पंकज कुमार सिंह
53. सोनू कुमार सिंह
54. Shalini kumari
55. Pratima kumari

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यक्रम में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। विषय-प्रवेश समन्वयक, आई०क्यू०ए०सी० डॉ० राम सुभग सिंह ने किया। मुख्य अतिथि-सह-वक्ता प्रो० संतोष मिश्र (प्राचार्य, संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज, रेहला) ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू 'भौगोलिक संकेतक' (G.I.) है। भौगोलिक संकेतक वे नाम हैं, जो कुछ कृषि संबंधी वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं या किसी देश या उसके किसी क्षेत्र या नगर में विनिर्मित या पैदा की जाने वाली वस्तुओं से जोड़े जाते हैं। उस वस्तु की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य गुण उस भौगोलिक क्षेत्र से पहचाने जाते हैं। उदाहरण के लिए — दार्जिलिंग चाय, चंदेरी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, स्कॉच व्हिस्की आदि।

जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो लोगों या उत्पादकों का समूह, कोई संगठन, किसी कानून या इसके तहत कोई अधिकरण, जो संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है और उन वस्तुओं के संबंध में भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है; वह लिखित में रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन कर सकता है।

मुख्य वक्ता प्रो० मिश्र ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की कुछ शर्तें हैं। जिन स्थितियों में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता — (i) भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है या कानून के विपरीत है, (ii) इसमें कोई विवादित या अश्लील सामग्री है या भारत के किसी वर्ग या समुदाय की धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं (iii) यह कोई जेनेरिक नाम है (iv) यदि उसके मूल देश में इसे संरक्षण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है या इसका उपयोग बंद हो गया है (v) इसके मूल के बारे में गलत दावा किया गया है।

भौगोलिक संकेतक से संबंधित एक्ट का पूरा नाम है — "वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण व संरक्षण) एक्ट, 1999।" इसकी अवधि 10 वर्ष की होती है, लेकिन समय-समय पर नवीनीकरण शुल्क देकर इसका असीमित समय के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। एक्ट के तहत भौगोलिक संकेतक के बारे में गलत दावा करने पर 6 माह से 3 वर्ष का कारावास और

Scanned with OKEN Scanner

50,000 से 2,00,000 ₹ तक के जुर्माने का प्रावधान है। न्यायालय चाहे तो सजा को विशेष परिस्थिति में कम कर सकता है।

छात्र-छात्राओं ने संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिसका प्रत्युत्तर मुख्य वक्ता ने दिया। प्राचार्य महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन दिया। भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो० मुकेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यशाला समाप्ति की घोषणा की गई।

09/01/2023
Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

32

Dt- 04.03.2023

सूचना संख्या - 7

सभी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.03.2023 को पूर्वाह्न-11:30 बजे हॉल नं०-1 में बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है - "बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला।"

अतः आप सभी उक्त तिथि को निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

04/03/2023

प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K. Singh College
Japla, Palamu

R Singh

S K Singh

R R

A K Singh

33

दिनांक- 15.03.2023

कार्यशाला संख्या - 7

आज दिनांक - 15.03.2023 को पूर्वाह्न - 11:30 बजे हॉल नं० - 1 में प्रभारी प्राचार्य प्रो० शशि भूषण की अध्यक्षता में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ; जिसका विषय था — " बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के अंतर्गत कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला।" इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि - सह - वक्ता थे जी० एल० ए० कॉलेज, मेदिनीनगर के भौतिकी विभाग के सहायक प्राध्यापक प्रो० (डॉ०) आर० के० झा।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के निम्नांकित शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित हुए —

1. प्रो० शशि भूषण (प्रभारी प्राचार्य) [signature] 15/3/23
2. Dr. R. K. Jha (G.L.A. College, Medininagar) [signature]
3. डॉ० राम कृष्ण सिंह (IQAC, Co-ordinator) [signature]

Principal
A. K. Singh College
Japla, Palamau

4. मुकेश कुमार — Mukesh
5. डॉ० शिवकुमार विश्वकर्मा — विश्वकर्मा
6. Aman Kumar Singh — [signature]
7. Rahul Kum. Sahu — [signature]
8. Rajesh Kr Singh — RS
9. Harere Singh — [signature]
10. Dr. Rekha Kumari Singh — R. K. Singh
11. Akhilesh Mehta — [signature]
12. प्रो० सुशील कुमार सिंह — [signature]
13. Prof Sudhir Kumar Singh — SKSingh
14. prof. ASHOK Kr. Singh — [signature]
15. Amarendra Kumar Singh. — A.K.Singh
16. Dr. Ravi Ranjan Kr. Mishra — RRanjan
17. Dr. Anand Kumar — [signature]
18. Dr. Alok Ranjan — [signature]
19. Archana singh
20. काजल सिंह
21. अंजाल्या नवीता

22. Sonali Kumari
23. Priyanshu Singh
24. Rehana Khatun
25. Kusum Kumari
26. Yasmin Firdos
27. Khushi Praveen
28. Kajal Kumari
29. Saniya Parween
30. अशोक कुमार
31. Simran Praween
32. Neha Kumari
33. प्रतिमा कुमारी
34. आसियामा प्रवीण
35. Sushma Kumari
36. Punam Kumari
37. Khushboo Kumari
38. Manish Kumar
39. विकास कुमार
40. Vishal Agnihotri
41. Vikash Singh
42. Rahul Paswan
43. राजेश कुमार
44. भाणु कुमार
45. Raju Kumar
46. सोनाली गुप्ता
47. माधुरी सिंह
48. Uday Paswan
49. विशाल मेहता
50. Anshu Singh
51. गोलू कुमार
52. स्वाति कुमारी

35

कार्यवाही (Proceeding)

इस कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रो० रेखा कुमारी सिंह (हिन्दी विभाग) ने किया। विषय-प्रवेश आई० क्यू० ए० सी० कोऑर्डिनेटर डॉ० राम सुमन सिंह ने किया। मुख्य अतिथि-सह-वक्ता प्रो० (डॉ०) आर० के० झा ने काफी गहनता, सरलता एवं रोचकता से बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न पहलुओं — कॉपीराइट, पेटेंट एवं ट्रेडमार्क — पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्ति की बुद्धि से उत्पन्न कला, साहित्य, आविष्कार आदि का संरक्षण एवं उसके हित के लिए कार्य करना है। यदि हम खेती करें और फसल कोई और काट ले जाये, तो ऐसी स्थिति में खेती करने का कष्टसाध्य एवं जोखिम भरा काम भला कोई क्यों करना चाहेगा।

प्रो० झा के वक्तव्य का सार निम्न प्रकार है — कॉपीराइट कानून जनवरी 1958 में लागू हुआ। इसके अन्तर्गत वे विषय हैं — मौलिक साहित्य, नाटक, संगीत और कला कृतियाँ; सिनेमेटोग्राफ फिल्में, एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग। कॉपीराइट की अवधि 60 वर्ष होती है। कॉपीराइट के नियम का उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 साल तक की सजा और/या 50 हजार से 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

दुनिया के पैमाने पर पेटेंट का इतिहास 500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। सर्वप्रथम 1474 ई० में वेनिस में पेटेंट कराया गया था। फिर इंग्लैंड, फ्रांस और बाकी देशों ने पेटेंट को लेकर अनेक वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं। पेटेंट तीन तरह के होते हैं — (क) उत्पाद पेटेंट (ख) प्रायोग पेटेंट (ग) पादप पेटेंट। पेटेंट की परिधि से प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक वस्तुओं और अमूर्त/दार्शनिक विचारों को बाहर रखा गया है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है। पेटेंट को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है।

~~Trade Marks Act 1999~~ भारत में 15 Sept. 2003 से लागू हुआ। इसके तीन उद्देश्य हैं — (क) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्री कराया जाना (ख) माल एवं सेवा के व्यापार चिन्हों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना (ग) माल एवं सेवाओं के कपटपूर्ण उपयोग को रोकना। इसमें

रजिस्ट्रीकरण स्वैच्छिक है। रजिस्ट्री 10 वर्ष के लिए होती है। फिर नवीनीकरण कराना होता है।

मुख्य वक्ता से छात्र-छात्राओं ने अनेक प्रश्न पूछे, जिसका जवाब उनके द्वारा दिया गया। प्रभारी प्राचार्य प्रो० शशि भूषण ने अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और धन्यवाद ज्ञापन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई।

15/3/2023
Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

Dt.- 02.05.2023

सूचना संख्या – 8

सभी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक- 09.05.2023 को पूर्वाह्न -11:00 बजे कमरा सं०-11 में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिसका विषय है — "बौद्धिक संपदा अधिकार : वर्तमान पूँजीवादी युग में महत्व" (Intellectual property Right : Importance in Modern capitalist Age).

अतः आप सभी यथासमय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

[signature] 02/05/2023
प्राचार्य
ए० के० सिंह कॉलेज
जपला, पलामू।

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

R.S.K... R.K.Singh S.K.Singh A.K.Singh R.Kumar

कार्यशाला संख्या – 8

आज दिनांक – 09.05.2023, दिन= मंगलवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा सं० – 11 में प्राचार्य सूर्य मणि सिंह की अध्यक्षता में 'बौद्धिक संपदा अधिकार' पर एक कार्यशाला (workshop) का आयोजन किया गया, जिसका विषय था – "बौद्धिक संपदा अधिकार : वर्तमान पूँजीवादी युग में महत्त्व" (Intellectual property Right : Importance in modern capitalist Age)। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष – सह – समन्वयक, IQAC डॉ० राम सुभग सिंह थे। कार्यशाला में निम्नांकित शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित हुए —

1. Surya mani Singh (principal) — [signature] 09/05/23
2. Dr. Ram Subhag Singh (Co-ordinator, IQAC) — [signature]
3. प्रो० शशि भूषण
4. प्रो० मुकेश कुमार
5. डॉ० शिवकुमार त्रिपाठी — [signature]
6. राहुल कुमार सिंह — [signature]
7. Arun Kumar Singh — [signature]
8. Rajesh Kr Singh — RB
9. Harinandan Singh — [signature]
10. Dr Rekha Kumari Singh — R.K.Singh
11. Akhilesh Mishra — [signature]
12. प्रो० मनोज कुमार सिंह — [signature]
13. Prof Sudhir Kumar Singh — S.K.Singh
14. Prof Ashok kr. Singh — [signature]
15. Amarendra Kumar Singh. — A.K.Singh
16. Dr. Ravi Ranjan Kr. Mishra — [signature]
17. Dr. Anand Kumar — [signature]
18. Dr. Alok Ranjan — [signature]
19. स्वाति सिन्हा
20. Makarand Chaubey
21. काजल कुमारी
22. Sameer Ahmad
23. Ritesh Kumar

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau

Scanned with OKEN Scanner

24. Kajal Kumari
25. Khushi Praveen
26. Yasmin Firdos
27. fatma Razza
28. Rehana Khadun
29. Kusum Kumari.
30. Rulapsha khatoon
31. Saista Khatoon
32. Richa Kumari
33. Khushbu Kumari
34. Sonali Kumari
35. Saniya Parween
36. Amit Kumar.
37. Prince Kumar
38. रहमान खान
39. Kundan Kumar Sharma.
40. PremPrakash Kumar.
41. Hiralal Kr. Sharma
42. रौशन कुमार
43. Sushil Kr. Thakur
44. रोहित कुमार ठाकुर
45. मुसरत परवीन
46. Rajesh Km Yadav
47. Satyam Kumar
48. chandan Pandey
49. Pamani Kumari
50. खुशी कुमारी
51. Sakshi Kumari
52. प्रियांशु शुक्ला
53. Kiran Kumari
54. Rinki Kumari
55. शंभु कुमार पटेल
56. संजु गुप्ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही (proceeding)

इस कार्यशाला में मंच का संचालन जन्तु विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रो० राहुल कुमार सिंह ने किया। हिन्दी के विभागाध्यक्ष डॉ० आलोक रंजन कुमार ने विषय-प्रवेश किया। इसके बाद भूगोल विभागाध्यक्ष प्रो० मुकेश कुमार ने बौद्धिक संपदा अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किये। अनन्तर मुख्य वक्ता डॉ० राम सुजान सिंह (समन्वयक, आई० क्यू० ए० सी०) ने विस्तार से अपने विचार रखे और कहा कि यह बौद्धिक संपदा अधिकार वर्तमान पूँजीवादी / साम्राज्यवादी व्यवस्था के अनुरूप है। यह पूँजीवादी व्यवस्था की जरूरत है। पूँजीवाद का एक ही उद्देश्य है — येन-केन-प्रकारेण मुनाफा कमाना। रचना या आविष्कार कोई जीनियस व्यक्ति करता है, जो आमतौर पर धनी या पूँजीपति नहीं होता। वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में यह रचना, कला एवं आविष्कार आम जनता के प्रयोग / उपभोग में तब तक नहीं आ सकता; जब तक कोई प्रकाशक / कंपनी / पूँजीपति / सरकार इसे अपने अधिकार में न ले ले अर्थात् उस पर अपना स्वामित्व / कॉपीराइट / पेटेंट / ट्रेडमार्क न हासिल कर ले / पूँजीपति न्यूनतम मूल्य चुकाकर लेखक, कवि, कलाकार, आविष्कारक या वैज्ञानिक से इसे खरीद लेता है और फिर इस टेक्नोलॉजी का औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग कर भारी मुनाफा अर्जित करता है, किताबों पर मामूली रॉयल्टी देकर शेष मुनाफा हड़प लेता है। किसी कलाकार की कला के साथ भी यही होता है। इसीलिए पूँजीवादी सभ्यता का बौद्धिक संपदा अधिकार पर इतना जोर है।

डॉ० सुभाग ने कहा कि प्राचीन धर्मग्रंथों — वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरुग्रंथ साहब इत्यादि पर कभी कोई कॉपीराइट नहीं था। ये समस्त मानवता के लिए सर्वसुलभ थे। कबीर, तुलसी, प्लेटो, अरस्तू इत्यादि ने भी अपनी रचनाओं पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा। यदि भाषा पर पेटेंट का कानून बन जाये, तो न जाने कितने लोग भाषाविहीन हो जायें। एक समाजवादी समाज में बौद्धिक संपदा अधिकार की कोई जरूरत नहीं रह जायेगी, क्योंकि व्यक्ति की चिन्ता समाज करेगा और व्यक्ति जो भी सृजन करेगा वह समस्त समाज की संपत्ति होगा।

ने अध्यक्षीय संबोधन दिया और छात्र-छात्राओं के प्रश्नों का समाधान किया। प्रो० रेखा कुमारी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई।

09/05/2023

Principal
A.K.Singh College
Japla, Palamau